न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 32/2023 (राजसमन्द डिक्री)

1. मोहन सिंह पिता जसवन्त सिंह राव (मृतक) के बजाय :–

1/1. विवेक सिंह पिता मोहन सिंह राव

1/2. आनन्द सिंह पिता मोहन सिंह राव

1/3. हिमांशु सिंह पिता मोहन सिंह राव

सभी निवासी ग्राम भीटवाडा, तहसील बाली, जिला पाली, हाल निवासी 250, मातृकृपा, न्यू मार्डन कॉम्पलेक्स, भुवाणा, उदयपुर (राज.)

2. गणपत सिंह पिता जसवन्त सिंह राव, निवासी ग्राम भीटवाडा, तहसील बाली, जिला पाली, हाल निवासी 250, मातृकृपा, न्यू मार्डन कॉम्पलेक्स, भुवाणा, उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. भारत सिंह पिता सारदुल सिंह राव, निवासी गुगली, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त. अधि.– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी आमेट दिनांक
18–08–2023 प्रकरण संख्या 44/20

–––/–––

उपस्थित :– 1– श्री कल्पित जैन अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री गिरीश पुरोहित अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

–––::–––

निर्णय **दिनांक 08–10–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:40 IST
Reason: SelfAttested

गुगली में आराजी नंबर 179 रकबा 1.5700 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 225 रकबा पौने 9 बीघा 4 बिस्वा थे, जो चाह नंबर 224 से सिंचित होती थी, जिसके हाल आराजी नंबर 179 बने। उक्त भूमि स्वर्गीय भेरा पिता वग्तावर जी राव के स्वत्व एवं अधिकार की थी, जिनके निधन के बाद उनकी पत्नी अन्दरबाई उर्फ इन्दरबाई उसका उपयोग उपभोग करती आयी। श्रीमती इन्दर कंवर ने अपने स्वत्व एवं अधिकार की उक्त आराजी संवत् 2007 दिनांक 03–02–1951 को 50/– रूपये में नाहरसिंह पिता तेजसिंह को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। नाहरसिंह ने विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाया किन्तु कानूनी जानकारी के अभाव में त्रुटि रही थी, लेकिन कब्जा नाहरसिंह का ही रहा। स्वर्गीय नाहरसिंह ने उक्त आराजी नंबर 225 रकबा पौने 9 बीघा 4 बिस्वा एवं चाह नंबर 224 का 1/3 हिस्सा वादी को दिनांक 29–03–1968 को पंजीकृत विक्रय कर दिया, तब से वादी का कब्जा चला आ रहा है, किन्तु इन्दरबाई का निधन होने पर विरासत से भूमि उसकी पुत्री केशरबाई के नाम स्वीकृत हुआ, जिससे वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजियात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गयी। अतः अतः विवादित आराजी नंबर 179 रकबा 1.5700 हैक्टर का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18–08–2023 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11–12–2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरीश पुरोहित उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 02–12–2023 को अपीलान्टगण जब [illegible] ली [illegible] तो रिश्तेदारों से वार्तालाप

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:40 IST
Reason: SelfAttested

के दौरान उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गयी है तथा देरी का उचित एवं पर्याप्त कारण नहीं बताया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई डिक्री जारी नहीं की गयी है, जबकि वाद में डिक्री जारी की जाना आवश्यक होती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपूर्ण होकर अकृत व शून्य प्रभावी है। पत्रावली का यदि सार्थक अवलोकन किया जावे तो उक्त पत्रावली दिनांक 23–08–2022 से पूर्व मात्र एक बार कोरोना काल में नियमित न्यायालय में प्रस्तुत हुई है एवं कोविड काल में शिथिलताओं में ही अनवरत तब्दील होती रही है। दिनांक 23–08–2022 को प्रकरण की तामिल यदि पत्रावली में संलग्न नहीं हुई थी तो न्यायालय के लिए यह समीचीन था की वे आदेश 5 नियम 19 के तहत तामिल कुन्निदा का परीक्षण करने के बाद ही पश्चातवर्ती कार्यवाही करते। अपीलान्ट के पिता मोहनसिंह का दिनांक 18–12–2021 को ही देहावसान हो चुका था। इस प्रकार डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध जारी की गयी है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए कि रेस्पोन्डेन्ट/वादी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की है। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:40 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। आदेशिका दिनांक 23–08–2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्टगण तामिल प्राप्त नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है, जो विधि सम्मत है। अपीलान्टगण की यह भी आपत्ति है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ निर्णय पारित किया गया है, डिक्री जारी नहीं की गयी है, किन्तु अपीलान्टगण का उक्त कथन मानने योग्य नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर निर्णय के साथ डिक्री भी संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विक्रय पत्र दिनांक 03–02–2051 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि की खातेदार अन्दरबाई द्वारा उक्त भूमि का विक्रय 50/– रूपये में नाहरसिंह के पक्ष में किया गया है। तत्पश्चात नाहरसिंह द्वारा दिनांक 29–03–1968 को उक्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय वादी भारतसिंह के पक्ष में किया जाना प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर ही रेस्पोन्डेन्ट/वादी को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 18–08–2023 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08–10–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:40 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰** .....

मोहनसिंह के बजाय विवेकसिंह राव, नि. ग्राम भीटवाडा, त. बाली, जिला पाली, हाल नि0 250, मातृकृपा, न्यू मार्डन कॉम्पलेक्स, भुवाणा, उदयपुर व अन्य

बनाम

भारतसिंह पिता सारदुलसिंह राव, निवासी गुगली, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं॰...**32 / 2023**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....**.....आमेट**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....**18.....माह.....08.....**.....2024**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**08**.....माह.....10**.....**सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री कल्पित जैन .....**मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री गिरीश पुरोहित**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 18–08–2023 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**08**.....माह.....**10**.....**2024** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:40 IST
Reason: SelfAttested